

प्ररूप II
(विनियम 10 देखिए)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, २००१ के अधीन अनवार्यतः व्युत्पन्न किस्म, (ई.डी.वी.) के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

(अधिनियम की धारा 28 देखिए)

(आवेदन के लिए अनुदेश : जहां कहीं प्रश्नों के सामने बाक्स बने हैं वहाँ कृपया सुसंगत बॉक्स पर सही का चिह्न लगाएँ तथा अन्य प्रश्नों में स्पष्ट लिखित / टंकित उत्तर दें ।

1. आवेदकों का पहचान :

- * व्यष्टिक प्रजनक
- * प्रजनक का उत्तराधिकारी
- * संस्थागत आवेदन
- * कृषक
- * अन्य¹

¹सहभागी पौधा प्रजनन से विकसित सामग्री के लिए कृषक और पौधा प्रजनक के बीच हुए व्यवहार को अभिव्यक्त रूप से दर्शाने के लिए दस्तावेज संलग्न करें ।

आवेदक का / आवेदकों के नाम और राष्ट्रीयता

(क)(प्राकृतिक व्यक्ति की दशा मे) :

यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पंक्तियाँ डालें,

6. क्रम संख्या :-----
7. नाम² :-----
8. पूरा पता :-----
9. राष्ट्रीयता :-----

यदि आवेदक कृषक समुदाय या कृषक समूह का प्राधिकृत प्रतिनिधि है तो समूह के सभी सदस्यों या आवेदक की पहचान 'कृषक समुदाय' के रूप में हैं समुदाय के प्रधान / पदाधिकारी द्वारा दो व्यक्तियों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित प्ररूप तफ-1 में प्राधिकार संलग्न किया जाएगा ।

(ख) (विविध व्यक्ति की दशा में : जैसे फर्म या कम्पनी या संस्था)

नाम : -----

उसके मुख्यालय या स्थापन का पता : -----

(रजिस्ट्रीकृत कार्यालय) : -----

निगमन वर्ष : -----

क्या आवेदक विधिक व्यक्ति की पूँजी अथवा प्रबंधतंत्र में भारतीयेतर भागीदारी है :

हाँ

नहीं

यदि हाँ, तो राष्ट्रीयता बताएँ : -----

(ग) प्राकृतिक व्यक्ति, जो विधिक व्यक्ति का कर्मचारी हो, जो विधिक व्यक्ति का प्रतिनिधत्व करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत हो (जैसे कम्पनी का निदेशक या किसी फर्म का भागीदार) का नाम और पता लिखिए—

नाम : -----

पदनाम : -----

पता : -----

दूरभाष : -----

फैक्स : -----

ई-मेल : -----

3. उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे इस आवेदन से संबंधित पत्र भेजे जाने हैं (यदि आवश्यक हो, तो प्ररूप तफ - 1 में प्राधिकार संलग्न करें)।

नाम : -----

पता : -----

पिन : -----

दूरभाष : -----

फैक्स : -----

ई-मेल : -----

4. अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म की साधारण जानकारी

फसल का सामान्य नाम : -----

वनस्पतीय नाम : -----

कुटुम्ब : -----

अभिधान (बड़े अक्षरों में) : -----

3 वनस्पतिया नाम से वैज्ञानिक नाम अभिप्रेत है जो (अंतराष्ट्रीय कृष्ट पौधा नामकरण सहिता 2004 के अनुसार अनुमोदित है)

5. अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म:

ट्रांसजेनिक

उत्परिवर्ती

ऊतक संवर्धन व्युत्पन्न

बैक क्रॉस व्युत्पन्न

कोई अन्य (गुणिता परिवर्तन आदि)

(ख) यदि ट्रांसजेनिक है तो जननिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का अनापत्ति प्रमाणपत्र संलग्न करें और यदि अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म एक ट्रांसजेनिक है तो जैव सुरक्षा एंगल और पर्यावरण विभाग (जीईएसी) का अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा सम्बद्ध बीज उत्पादन अनुज्ञा संलग्न करें (विवरण दीजिए):

6. (क) अभ्यर्थी किस्म का वर्गीकरण :

प्ररूपिक किस्म⁴

संकर किस्म

अन्य (विनिर्दिष्ट कीजिए)

⁴प्रारूपिक किस्म से ऐसी किस्म अभिप्रेत है जो संकर नहीं है या अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म नहीं है और पूर्व फसल उत्पादक चक्रों में व्यावृत्त प्रवर्धों का उपयोग करके सामान्यता प्रवर्धित की जाती है। (उदाहरणार्थ : पैतृक परंपरार के अंतर्गत शुद्ध परंपरा, संश्लेषित/समिश्रित किस्में या वनस्पतिक प्रवर्धित किस्में भी है ।)

(ख) सुभिन्नता, एकरूपता स्थिरता तत्व क्या हैं जिनके आधार पर रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है। समूह लक्षणों को सविस्तार बताइए (ब्यौरे के लिए विनिर्दिष्ट दिशानिर्देश देखिए) समस्त आवश्यक विवरण सहित तकनीकी प्रश्नावली पत्र संलग्न करें जिस पर मुहर सहित सभ्यकतः हस्ताक्षर किए गए हों ।

(ग) क्या प्रारंभिक किस्म के प्रजनक का प्राधिकार ले लिया है?

हाँ

नहीं

(घ) यदि हाँ तो प्राधिकार की एक प्रतिलिपि संलग्न करें ।

7. प्रजनक/प्रजनकों का नाम और पते जिसमें /जिन्होंने अभ्यर्थी अभ्यर्थी अनिवार्यत व्युत्पन्न किस्म⁵ का प्रजनन किया है ।

नाम : -----

पता : -----

दूरभाष : -----

फैक्स : -----

ई-मेल : -----

राष्ट्रीयता : -----

एक से अधिक प्रजनकों की दशा में, उपरोक्त प्रपत्र में सभी नामों का उल्लेख कीजिए जैसे (ii), (iii) आवश्यक हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाएँ। यदि वह किस्म को कृषक समूह या समुदाय द्वारा विकसित और संरक्षित है तो यह उपाबंध 1 में पृष्ठांकित किया जाएगा।

8. (क) अभिसमय देशों में या अन्य देशों में अभ्यर्थी अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म के बारे में किए गए अन्य पूर्व आवेदनों का विवरण (यदि लागू हो तो):

अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म अभिधान : -----

आवेदित अधिकार की प्रकृति : पौधा प्रजनक के पेटेन्ट अधिकार

फाइल करने की तिथि : -----

(साक्ष्य संलग्न करें)

देश का नाम : -----

प्राधिकरण का नाम : -----

आवेदन संख्या : -----

आवेदन की स्थिति : -----

विचाराधीन

अनुमोदित

नामंजूर

(यदि आवश्यक हो तो हर लागू देश के लिए उपर्युक्त को दोहराएँ और अतिरिक्त पन्ना लगाएँ)

(ख) यदि उक्त अभिधान की अभ्यर्थी किस्म के सबसे पहले आवेदन के संबंध में अब पूर्विकता मांगी जाती है (यदि लागू हो)

किस देश में : -----

स्रोत पर प्रयुक्त किए गए अभिधान को नहीं बदलना चाहिए। स्रोत संबंधी सूचना में प्रजनक का नाम या कृषक समुदाय का नाम जिसने पैतृक परंपरा को प्रजनित किया और पोषित किया। अतिरिक्त लागू पैतृक परंपरा के लिए उपर्युक्त जानकारी दोहराएँ।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म संकर है तो बताएँ संकर के बार-बार प्रवर्धन के लिए पैतृक परंपरा के वंशक्रम के रूप में सामान्य ज्ञान की कृषक किस्म का या लोक क्षेत्र की किस्म का प्रयोग किया जाता है : -----

हाँ नहीं

यदि हाँ तो निम्नलिखित विवरण दें :

अभिधान:

भौगोलिक स्रोत :

सहज गुणों के ब्यौरे (उद्भव) :

स्वामी कृषक / ग्राम समुदाय / संस्था / संगठन का ब्यौरा -----

11. अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म या संकर में यदि विदेशी जननद्रव्य का प्रयोग किया गया है तो विवरण दीजिए :

12. आवेदन फीस तथा सुभिन्नता, एकरूपता स्थिरता परीक्षण शुल्क के संदाय का विवरण

फीस राशि -----रु

(केवल -----रुपए)

मांगदेय ड्राफ्ट सं. और तारीख : -----

बैंक और शाखा का नाम जिससे मांगदेय ड्राफ्ट आहरण किया गया है:-

⁸अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म के लिए सुभिन्नता, एकरूपता स्थिरता परीक्षण शुल्क किए जाने वाले परीक्षणों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा । किंतु उससे कम नहीं होगा जो आवेदन 1 के अंतर्गत किस्मों के लिए निर्धारित किया गया है ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

घोषणा

मैं / हम उपरोक्त अभिधान सहित अभ्यर्थी अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म के रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए आवेदन करता हूँ / करते हैं और मैं / हम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 तथा इस आवेदन से संबंधित उसके नियमों से परिचित हूँ / हैं ।

मैं / हम घोषित करता हूँ / करते हैं कि इस आवेदन में वर्णित व्यक्ति / व्यक्तियों से भिन्न कोई व्यक्ति अभ्यर्थी अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म के प्रजनन, या खोज का विकास में शामिल नहीं रहा है ।

मैं / हम घोषित करता हूँ / करते हैं कि अभ्यर्थी अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 29 की उपधारा (3) का अनुपालन करती है।

मैं / हम घोषित करता हूँ / करते हैं कि मैंने / हमने इस अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म के अभिधान के लिए या किसी व्यापार चिह्न के लिए आवेदन नहीं किया है या प्राप्त नहीं किया है।

मैं / हम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुपालन में एक शपथपत्र संलग्न करता हूँ / करते हैं ।

मैं / हम घोषित करता हूँ / करते हैं कि उपरोक्त अभ्यर्थी अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म के रजिस्ट्रीकरण के इस आवेदन में दी गई जानकारी जिसके अंतर्गत उपाबंध और सभी सहायक दस्तावेज भी है, मेरे /हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्ण, सत्य और सही है और कोई भी जानकारी जानबूझकर छिपाई नहीं गई है ।

मैं / हम घोषित करता हूँ / करते हैं कि दीप्त सीमांत प्रौद्योगिकी (टीटी), या जननिक उपयोग निर्बंधन प्रौद्योगिकियाँ (जी.यू.आर.टी.एस.) या ऐसी अन्य रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत सामग्री में नहीं है । मैं / हम यह घोषित करता हूँ/करते हैं कि हम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के सभी उपबंधों तथा दिशानिर्देशों का पालन करूँगा / करेंगे।

स्थान : -----

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख : -----

⁹जहां कहीं आवेदक एक से अधिक हैं वहां हर आवेदक को हस्ताक्षर करने होंगे। प्राधिकारी आवेदक या समनुदेशितियों के द्वारा आवेदन की दशाम में इस प्रकार प्राधिकृत या समनुदेशित व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करेगा / करेंगे ।

आवेदन की तीन प्रतियों में से प्रत्येक प्रति के साथ निम्नलिखित संलग्नक प्रस्तुत है। :

(ध्यान दीजिए कि जहां कहीं हस्ताक्षर आवेदन या संलग्नक में किए गए हैं वहां ऐसे सब हस्ताक्षर मूल रूप में होंगे):

- (क) पूरा आवेदन :
- (ख) कृषक की अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म की दशा में उपबंध 1 में पृष्ठांकन (यदि लागू हो तो स्तंभ 1 के अनुसार)
- (ग) प्ररूप तफ । में प्राधिकार का दस्तावेज (यदि लागू हो) :
- (घ) प्ररूप तफ II में समनुदेशन का दस्तावेज (यदि लागू हो) :
- (ङ) ऊपर दिए गए (ख) और (घ) की पुष्टि में दस्तावेज (यदि लागू हो) :
- (च) यदि शपथपत्र की टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी और अनुवंशिक प्रयोग निर्बंधन प्रौद्योगिकी अन्तर्वलित नहीं है :
- (छ) फाइल करने की तारीख को दस्तावेज की प्रतिलिपि (यदि लागू हो तो स्तंभ 8 'क' के अनुसार)
- (ज) पत्र की प्रतिलिपित (यदि लागू हो तो 10 'क' के अनुसार)
- (झ) अभ्यर्थी किस्म की तकनीकी प्रश्नावली (संलग्न)
- (ण) यदि आवेदक उत्तराधिकार या रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के अधिकार के समनुदेशन के फलस्वरूप आवेदक हैं तो पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 18 की उपधारा (3) में यथा अनुबंधित आवेदन करने का अधिकार दर्शित करने का सबूत संलग्न करें ।
- (ट) फीस, जो लागू है

यदि आवश्यक समझें तो सुभिन्नता स्थापित करने के लिए विनिर्दिष्ट विशेषताओं के रंगीन चित्र संलग्न करें । कृपया आवेदन और हर दस्तावेज के बांये हाशिये में, हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें ।

उपाबंध-1

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के अधीन कृषक किस्म के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन का पृष्ठांकन

1. आवेदक कृषक / कृषक समूह/ कृषक समुदाय का / के नाम

क्रमांक	उपनाम सहित नाम / समूह का नाम / समुदाय का नाम	स्थायी पता

2. अभ्यर्थी किस्म का अभिधान: -----

3.क (व्यष्टिक कृषक आवेदन को लागू

मैं घोषित करता हूँ कि मैं ----- राज्य सरकार के----- जिसमें -----

स्थानीय /पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव ----- में

पिछले अनेक वर्षों से स्थायी किसान रहा हूँ और मैं और मेरा परिवार

----- वनस्पतिक प्रजाति (फसल का सामान्य नाम) की

----- प्रकार के अंतर्गत -----रूप में

अभिधानित अभ्यर्थी किस्म के प्रारंभिक और अनन्य विकासकर्ता तथा सतत् संरक्षक हूँ ।

3ख (आवेदन कृषकों के समूह/समुदाय को लागू)

हम घोषणा करते हैं कि हम ----- राज्य के ----- जिले में

----- स्थानीय निकाय/पंचायत के अंतर्गत ----- गांव में पिछले अनेक

वर्षों से स्थयी किसान रहे हैं और यह कि हम वनस्पतिक प्रजाति के प्रकार

----- रूप में अभिधानित अभ्यर्थी किस्म के प्रारंभिक और अनन्य विकासकर्ता तथा सतत संरक्षक हैं । हम अपने समूह/समुदाय की ओर से श्री ----- (नाम) को जो हमारे समूह/समुदाय का सदस्य है और ----- (पूरा डाक पता) का स्थायी निवासी है, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिकार अधिनियम 2001 के अधीन अपने पक्ष में अभ्यर्थी किस्म का रजिस्ट्रीकरण करवाने के सीमित प्रयोजन के लिए अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई करने तथा हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत करते हैं ।

तारीख : -----

स्थान : -----

हस्ताक्षर

कृषक का नाम
समूह / समुदाय का प्राधिकृत व्यक्ति
(पृष्ठांकन करने वाले पदाधिकारी के
समक्ष हस्ताक्षर किए जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त अभ्यर्थी अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म आवेदक कृषक/कृषक समूह/कृषक समुदाय द्वारा ही, जो उपर्युक्त गांव के स्वामी निवासी हैं प्रजनित प्रजनित / विकसित ओर निरंतर संरक्षित हैं तथा उसकी खेती की जाती है और मैं आवेदन कृषक / कृषक समूह या समुदाय से पूरी तरह परिचित हूँ तथा यह कि अभ्यर्थी किस्म उनके प्रयासों से ही है। (विकल्प के रूप में अंकित अवांछित शब्दों को काट दीजिए)

तारीख : -----

स्थान : -----

हस्ताक्षर -----

नाम -----

संबंधित पंचायत जैव विविधता प्रबंध समिति का अध्यक्ष / सचिव
अथवा संबंधित जिला कृषि अधिकारी
अथवा संबंधित राज्य के कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक
अथवा संबंधित जिला जनजातीय विकास अधिकारी
(पदीय रबड़ मुहर सहित)